पत्रांक–बजट–36–मु0व्या0दु0बी0यो0 / (बाधित अवधि) / 472 / राज्य कर

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश
(बजट अनुभाग)
लखनऊः 17 अक्टूबर, 2025

अपर आयुक्त, राज्य कर,
गौतमबुद्धनगर, लखनऊ एवं कानपुर
समस्त अपर आयुक्त,ग्रेड–1, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।

अवगत कराना है कि दिनांक 13.10.2025 को हुई बैठक में निर्देश दिये गये है कि मुख्यालय द्वारा समस्त जोन को अवगत करा दिया जाए कि प्रस्ताव किस प्रकार से आने है इसे अभियान चला कर इसी माह समस्त प्रस्ताव मंगा लिये जाए ।

उपरोक्त के कम में अवगत कराना है कि मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के निस्तारण के सम्बन्ध में विस्तृत दिशानिर्देश मुख्यालय परिपत्र संख्या–714 दिनांक 27.01.2025 में उल्लिखित है । उक्त के अतिरिक्त मुख्यालय के पत्र संख्या– 395 दिनांक 22.09.2025 एवं पत्र संख्या–417 दिनांक 30.09.2025 के द्वारा भी प्राप्त प्रकरणों का आनलाइन, गुणवत्तापूर्वक, ससमय निस्तारण कराये जाने के निर्देश दिये गये थे, परन्तु कतिपय प्रकरणों में आनलाइन माध्यम से पूर्ण प्रपत्र प्राप्त न होने के कारण प्रकरणों को मुख्यालय द्वारा वापस प्रेषित कर दिया जाता है एवं जोनल कार्यालय द्वारा आफलाइन माध्यम से प्रपत्र मुख्यालय को प्रेषित कर दिये जाते है, जिस कारण प्रकरणों को ससमय एवं गुणवत्तापूर्वक निस्तारण नही हो पा रहा है ।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि कृपया मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना से सम्बन्धित समस्त प्रकरण आन लाइन माध्यम से ही समस्त प्रपत्र मुख्यालय को प्रेषित किये जाये ताकि प्रकरणों का समयम एवं गुणवत्तपूर्वक निस्तारण किया जा सके ।

यह पत्र आयुक्त, महोदय के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जा रहा है ।

Digitally signed by
ASHOK KUMAR SINGH
Date: 17-10-2025
16:34:46

(अशोक कुमार सिंह)
अपर आयुक्त(लेखा), राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. संयुक्त आयुक्त(आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय को नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किये जाने हेतु ।
2. समस्त संयुक्त आयुक्त(कार्य0) राज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त खण्डाधिकारी, राज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

अपर आयुक्त(लेखा), राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।